प्रेषक,
/1 7147/2023

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक मार्च, 2023**

विषय : वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सैक्टर नाबार्ड वित्त पोषण के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा कार्य मद हेतु निर्माणाधीन योजनाओं पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–169/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1(नाबार्ड)/ दिनांक 10.03.2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर नाबार्ड वित्त पोषित निर्माणाधीन योजनाओं हेतु अनुमोदित बजट प्राविधान के सापेक्ष बाढ़ सुरक्षा कार्य मद के अन्तर्गत 78 योजनाओं हेतु **रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ रूपये मात्र)** की धनराशि उक्त योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में निर्गत मूल/विभिन्न शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ व्यय हेतु एकमुश्त आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के आरहण एवं व्यय में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–236/ XXVII(1)/2022/9(150)-2019 दिनांक 04, अप्रैल, 2022 एवं शासनादेश सं0–391/09(150)-2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24,जून, 2022 में निर्धारित शर्तों के साथ–साथ बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
6. प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9. विभाग द्वारा नाबार्ड के अन्तर्गत समस्त Guide lines का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यों हेतु धनावंटन किया गया है, वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हों, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

क्रमश..............2

.47/2023

11. आवंटित धनराशि के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103 सिविल कार्य–98 –नाबार्ड पोषित–01–बाढ़ नियंत्रण कार्य– 53 वृहद् निर्माण कार्य मद नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–391/09(150)-2019/ XXVII(1)/2022 दिनांक 24,जून, 2022 में निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः अलॉटमेंट आई0डी0

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 17-03-2023 15:24:55

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई पत्रावली संख्या–28294/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
6. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग, देहादून।
8. वित्त अनुभाग–1 एवं 2, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 17-03-2023 16:41:03

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।